Dr. Pragya Rai, Asst. Prof. Pol. Sc.
Maharaja College
BA-I, Paper-2, Unit-II

अप्रैल/April

22 सोमवार Monday

न्यायपालिका

न्यायपालिका सरकार और प्रशासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह स्वतन्त्र जनतंत्र की अभिव्यक्ति है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिफ़ाजत करती है। शासकों को शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिये सामान्यत: तीन व्यवस्थायें अपनाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं —

23 मंगलवार Tuesday

(1) शक्तियों को संविधान द्वारा निर्धारित व सुनिश्चित कर दिया जाता है जिससे सरकारें संवैधानिक नियमों के अनुसार ही शक्ति-प्रयोग करें।
(2) दूसरी व्यवस्था, शक्तियों के नियंत्रक व संतुलक बनाने की है, जिससे कोई भी शासन-अंग को

अप्रैल/April

की स्वतंत्रता में वृद्धि और 26 शुक्रवार Friday
न्यायिक निर्णयों की स्वीकृति
के लिये आदर और विश्वास की
भावना उत्पन्न करने के लिये न्यायिक
प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहुत बल
दिया जाता है। परिणामस्वरूप, कई
राजनीतिक प्रणालियों में न्यायपालिका
की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को
राजनीतिक स्थिरता का आवश्यक
पहलू तक स्वीकार किया 27 शनिवार Saturday
जाता है। इसी से कुछ उदारवादी
लोकतंत्रीय शासनों में प्रशासकीय
न्यायालयों और अर्द्ध-न्यायिक प्रशासकीय
अधिकरणों के विकास को देखकर
बेचैनी पैदा होने लगी है; क्योंकि 28 रविवार Sunday
इनके विकास को विधि के शासन के
प्रतिकूल समझा जाता है।

बुधवार Wednesday 24 शक्ति के दुरुपयोग में दूसरे अंग द्वारा रोका जा सके।

(3) तीसरी व्यवस्था, एक पृथक्, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करने की है। यह व्यवस्था अन्य दो सुरक्षा-व्यवस्थाओं की पूरक और इनको व्यवहार में शक्ति-नियंत्रक के रूप में रखने

गुरुवार Thursday 25 की है। इसी भूमिका के चलते न्यायपालिका राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक की रक्षक हो जाती है। उदारवादी लोकतंत्रीय सिद्धान्त ने अति-शक्तिशाली राज्य से नागरिक को बचाने की आवश्यकता पर सदैव बल दिया है। अतः, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में न्यायपालिका